प्रपत्र–4

(देखे विनियम 6 का उपबन्ध 1 (ग) 2 (क) एवं 3(क))

राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग–1

संख्या–477/71–आयुष–1–2016–205/2016

लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2016

सेवा में,

प्रबन्धक,
सतीश चन्द्र पाण्डेय मेमोरियल सेवा संस्थान,
182, छेदीपुरवा, स्टेशन रोड,
जिला–गोण्डा, उ0प्र0–271001

विषयः एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड, हारीपुर, गोण्डा, उ0प्र0 के अन्तर्गत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज में बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम 100 सीट के साथ स्थापित/संचालित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भः प्रबन्धक, सतीश चन्द्र पाण्डेय मेमोरियल सेवा संस्थान, 182, छेदीपुरवा, स्टेशन रोड, जिला–गोण्डा, उ0प्र0 का पत्र दिनांक 04.11.2015

महोदय,

निम्न तथ्यों के सम्बन्ध में वांछित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा रहा है:–

1.	राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद संस्थानों की संख्या	08 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज तथा निजी क्षेत्र में 14 आयुर्वेदिक कालेज
2.	उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या	1550 (स्नातक स्तर)
3.	राज्य परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद/बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या	37280
4.	राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या	2424
5.	राज्य विशेष रूप ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या	871
6.	राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या	सामान्यतः राज्य के रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराते हैं
7.	राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों एवं–जनसंख्या का अनुपात	1 : 3900
8.	चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आयेगा	आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना/स्नातक (बी0ए0एम0एस0) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का उद्देश्य योग्य चिकित्सक बनाना है तथा प्रशिक्षणोंपरान्त व्याधियों (रोगों) को दूर कर मानव शक्ति को सुदृढ़ करना है।
9.	छात्र जो राज्य के मूल निवासी नहीं है, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें	राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में स्नातक स्तर पर प्रवेश सी0पी0एम0टी0 से चयनोंपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से होता है।

10.	प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/नया बी0ए0एम0एस0 पाठ्यकम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य	योग्य चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक तैयार करना।
11.	प्राप्य आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्सक जनसंख्या अनुपात	निर्धारित नहीं।

प्रबन्धक, सतीश चन्द्र पाण्डेय मेमोरियल सेवा संस्थान, 182, छेदीपुरवा, स्टेशन रोड, गोण्डा ने जनपद गोण्डा, उ0प्र0 में एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड, हारीपुर, गोण्डा, उ0प्र0 में आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदक को एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड, हारीपुर, गोण्डा, उ0प्र0 के अन्तर्गत 100 सीटों के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित/ बी0ए0एम0एस0 पाठ्यकम प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है तथा यह भी अपेक्षा की गयी है कि उक्त संस्था सी0सी0आई0एम0 के मानकानुसार समस्त संसाधनों की पूर्ति कर लेगी–

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(क) आवेदक के पास 100 शैय्याओं वाला अस्पताल है।

(ख) आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना/बी0ए0एम0एस0 पाठ्यकम (100 सीट) प्रारम्भ करना जनहित में वांछनीय है।

(ग) प्रबन्धक, सतीश चन्द्र पाण्डेय मेमोरियल सेवा संस्थान द्वारा जनपद गोण्डा, उ0प्र0 में एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड, हारीपुर, गोण्डा, उ0प्र0 के अन्तर्गत आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना/100 सीटों के साथ बी0ए0एम0एस0 पाठ्यकम प्रारम्भ करना उचित है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है। आगे प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है और केन्द्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

संख्या–~~744~~ 477(1)/71–आयुष–1–2016–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, सी0सी0आई0एम0, जनकपुरी, नई दिल्ली।
2– सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4– कुलसचिव, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
5– निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6– निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन) उ0प्र0, लखनऊ।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।